भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1597

(28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लंबित सड़क परियोजनाएं

1597. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भंडारा और गोंदिया जिले नक्सल प्रभावित हैं और मुख्य रूप से जनजातिि बहुल जिले हैं, जहां विकास, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण आजीविका के लिए सड़क संपर्क अत्यंत आवश्यक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले चार वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत इन जिलों में कई सड़क परियोजनाओं के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके परिणामस्वरूप निर्माण, रखरखाव में देरी और सड़कों की स्थिति खराब हुई है;

(ग) यदि हां, तो पिछले चार वर्षों के दौरान भंडारा और गोंदिया जिलों के लिए पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या खराब सड़क स्थिति के कारण इन क्षेत्रों में ग्रामीणों, छात्रों, किसानों, रोगियों और सुरक्षा बलों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का भंडारा और गोंदिया जिलों में सभी लंबित और प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने और इस हेतु समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ङ): पीएमजीएसवाई के अंतर्गत, योजना दिशा-निर्देशों और अनुमोदित रूपरेखा के अनुसार सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि बाजारों तक पहुंच में सुधार करने तथा ग्रामीण आजीविका को सुगम बनाने के उद्देश्य से आकांक्षी जिलों, आदिवासी क्षेत्रों, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों और अन्य दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में ग्रामीण सड़क संपर्क में सुधार पर विशेष बल दिया जाता है। तदनुसार, सरकार ने ऐसे क्षेत्रों में सड़क संपर्क को प्राथमिकता देने के लिए निम्नलिखित तंत्र अपनाए हैं:

(i) पीएमजीएसवाई के संबंधित घटकों के अंतर्गत प्रस्ताव तैयार करते समय आकांक्षी जिलों, आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित पात्र असंबद्ध बसावटों को प्राथमिकता, बशर्ते वे व्यापक नई संपर्क प्राथमिकता सूची (सीएनसीपीएल) के अंतर्गत ऐसी परियोजनाओं की पहचान करके योजना के तहत पात्रता की शर्त पूरी करें। परियोजनाओं की स्वीकृति और कार्यान्वयन सीएनसीपीएल सूची के अनुसार किया जाता है।

(ii) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में संपर्क सुधारने के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) जैसे समर्पित कार्यकलाप।

(iii) पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में 500+आवादी वाले, विशेष श्रेणी राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड) में 250+ आवादी वाले, विशेष श्रेणी क्षेत्रों [जनजातीय अनुसूची-V क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, आकांक्षी ब्लॉक/जिले और संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पहाड़ी क्षेत्र (25% से अधिक क्रॉस स्लोप ढाल और समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंचाई)] तथा गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर पहचाने गए पुराने एवं थ्रस्ट जिलों सहित एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में 100+ आवादी वाली असंबद्ध बसावटें।

(iv) पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II के अंतर्गत चिन्हित बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क के लिए प्राथमिकता दी जा रही है (जनगणना 2011 के अनुसार)।

(v) पीएम-जनमन के अंतर्गत, आवश्यक सेवाओं और सामाजिक-आर्थिक अवसरों तक पहुंच में सुधार के लिए 100+ आवादी वाली पात्र विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) बसावटों को सड़क संपर्क प्रदान किया जा रहा है।

भंडारा जिले में, प्रारंभ से अब तक, पीएमजीएसवाई के विभिन्न घटकों के अंतर्गत कुल 171 सड़कें, जिनकी लंबाई 717.47 किलोमीटर है, और 9 पुल स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 171 सड़कें (710.90 किलोमीटर) और 9 पुल पहले ही बनाए जा चुके हैं। इसी प्रकार, गोंदिया जिले में, प्रारंभ से अब तक, कुल 285 सड़क कार्य, जिनकी लंबाई 1,130.24

किलोमीटर है, और 16 पुल स्वीकृत किए गए हैं। सभी स्वीकृत सड़क कार्य और पुल पूरे हो चुके हैं।

योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां समग्र रूप से जारी की जाती है, न कि जिलेवार। इसके अतिरिक्त, निधियां प्राप्त किए गए कार्यों, परियोजना में हुई प्रगति और आवश्यक दस्तावेजों के समुचित प्रस्तुतीकरण के आधार पर जारी की जाती है। वर्तमान में, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निधियां जारी करना एसएनए स्पर्श प्रणाली के माध्यम से होता है। महाराष्ट्र राज्य द्वारा पिछले चार वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान जारी की गई निधियां और किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(रुपये करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	**जारी निधियां**	**व्यय**
2022-23	742.995	1074.02
2023-24	1110.80	1507.37
2024-25	854.93	1524.10
2025-26	529.73	1402.23
2026-27 (23.07.2026 तक की स्थिति के अनुसार)	354.16	196.36

पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत, राज्य सरकार ने ग्राम सड़क सर्वेक्षण एप्लीकेशन के माध्यम से संपर्क प्रदान करने हेतु असंबद्ध बसावटों का सर्वेक्षण किया है। तथापि, राज्य ने भंडारा और गोंदिया जिलों में किसी भी बसावट को असंबद्ध के रूप में सर्वेक्षित नहीं किया है। इन जिलों में पीएमजीएसवाई परियोजनाओं के संबंध में विशेष वित्तीय सहायता या कार्ययोजना का कोई प्रस्ताव वर्तमान में मंत्रालय में लंबित नहीं है।
